परिपत्र संख्या-2/2012

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(109)जन/11-12/पार्ट-II/15767 दिनांकः 17/10/12

परिपत्र

विषयः- दस्तावेज पर चस्पा की जाने वाली प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता की फोटो को प्रमाणित करवाये जाने के संबंध में।

विभाग द्वारा आयोजित की गई अभिभाषकों/डीडराईटरों/स्टाम्प वेण्डर/ उप पंजीयक एवं पंजीयन लिपिकों की कार्यशाला में यह बिन्दु उठाया गया कि दस्तावेज पर चस्पा की गई प्रस्तुतकर्ता एवं विक्रेता की फोटो को उप पंजीयक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

पंजीयन अधिनियम 1908, की धारा-32 ए के अनुसार दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपनी पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार उक्त धारा के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेज पर क्रेता और विक्रेता की पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

पंजीयन अधिनियम 1908, की धारा-52 (1) के अनुसार दस्तावेज का प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होता है तथा धारा-58 के अनुसार दस्तावेज के निष्पादक को उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करना पड़ता है।

पंजीयन अधिनियम 1908, की धारा-32 के अनुसार दस्तावेज के निष्पादक, लेख्य-पत्र के तहत हक प्राप्त करने वाला व्यक्ति, निष्पादक या दावेदार का एजेन्ट या प्रतिनिधि द्वारा दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश किया जा सकता है। उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार क्रेता की उपस्थिति उप पंजीयक के समक्ष आवश्यक नहीं है। सिर्फ धारा-32 ए के अनुसार उसकी पासपोर्ट साईज की फोटो तथा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर अंगूठा निशानी आवश्यक है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि दस्तावेज पंजीयन के लिए दस्तावेज का निष्पादक और प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होते हैं।

पंजीयन अधिनियम 1908, की धारा-34 सपठित राजस्थान पंजीयन नियम-1955 के नियम-109 में पंजीयन अधिकारी को निष्पादक और प्रस्तुतकर्ता की पहचान के सन्दर्भ में अपनी संतुष्टि आवश्यक है। विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 9/09 के बिन्दु संख्या-8 परिपत्र संख्या 34/10 दिनांक 22.10.10 एवं परिपत्र क्रमांक 5/11 दिनांक 31.3.11 के बिन्दु संख्या 2.0 में फोटोयुक्त राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैनकार्ड, फोटोयुक्त बैंक पास बुक्स जो कि बैंक प्रबन्धक के द्वारा फोटो सहित प्रमाणित हो, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, लोक संस्थान/कम्पनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, फोटोयुक्त बी.पी.एल.कार्ड, फोटोयुक्त मनरेगा कार्ड, भारतीय सेना द्वारा जारी सैनिकों को फोटोयुक्त परिचय-पत्र, फोटोयुक्त विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रमशः पंजीयक/प्राचार्य द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र अनुज्ञा-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति-मूल निवास प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्मार्टकार्ड के आधार पर निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के प्रावधान किये गये हैं।

इन दस्तावेजों के आधार पर निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात् भविष्य में इनकी पहचान के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों से बचा जा सकता है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर निष्पादक/प्रस्तुतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करके अपनी

संतुष्टि के आधार पर दस्तावेज पर लगने वाली प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता की फोटो को प्रमाणित किया जावे।

भविष्य में उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा एवं राज्यादेशो का उल्लंघन मानकर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17/10/12

(हेमन्त कुमार गेरा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(109)जन/11-12/पार्ट-II/15768-16218 दिनांकः 17/10/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर को विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3- समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5- पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त-भवन, जयपुर ।
7- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8- उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11- समस्त उप पंजीयकगण (भूमिकर निर्धारण अधिकारी) राजस्थान को पालनार्थ।
12- मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14- उप निदेशक (कम्प्युटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15- समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16- निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17- समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

भवदीय

अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर